सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE AZAMGARH RANGE

जनपद-मऊ प्रेस-विज्ञप्ति **दिनांक 10.01.2023**

हिन्दुस्तान

बेइज्जती करने पर दोस्त ने ही की थी हत्या

हिमांशु हत्याकांड

घोसी, मऊ हिन्दुस्तान संवाद। पूर्व विधायक केदार सिंह के पौत्र हिमांशु सिंह हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया गया है। कोपागंज पुलिस ने चौबीस घंटे के अंदर घटना में शामिल एक नाबालिग समेत आठ अभियुक्तों को रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य भी फरार है।

शनिवार देर शाम को घोसी के डाक बंगला रोड निवासी पूर्व विधायक केदार सिंह के पौत्र हिमांशु उर्फ बिट्टू सिंह (22) को आधा दर्जन लोग घर से बुलाकर ले गए थे। देर रात आरोपियों ने एक मुहम्मदपुर के पास लाठी-डंडे से पीटकर हिमांशु सिंह की हत्या कर दी थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस टीम ने जिला पंचायत सदस्य पंकज कुमार पुत्र उमेश कुमार, प्रभाव विजय कुमार पुत्र शम्भुनाथ, धर्मेंद्र राजभर पुत्र रामबचन राजभर, करन सोनकर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, विवेकुमार पुत्र प्रभुनाथ चौहान, मनीष चौहान पुत्र अशोक चौहान, प्रदीप राजभर पुत्र अरविंद राजभर, सोनू राजभर पुत्र शैलेन्द्र राजभर समेत 9 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व

पूर्व विधायक के पौत्र हिमांशु सिंह हत्याकांड के मामले में सीमावार की थाना कोपागंज में गिरफ्तार हत्यारोपित।

लाठी-डंडा से मारपीट कर मरा हुआ समझकर भागे

सात जनवरी को हिमांशु के आने के बाद मोहम्मदपुर बनसत्ती रोड के किनारे ले आये थे, जहां पर लाठी-डंडा से मारपीट कर मरा हुआ समझकर भाग गए थे। अरोपियों ने बताया कि बाद में हम लोगों को पता चला कि हिमांशु सिंह उर्फ बिट्टू की मौत हो गई थी। सूचना के बाद इंदारा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पैर जिले में भागने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने आठों को गिरफ्तार कर लिया।

147 में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच-पड़ताल में जुटी थी।

कोपागंज पुलिस एवं एसओजी टीम को रविवार देर शाम सूचना मिली कि हत्याकांड में शामिल अभियुक्त इंदारा रेलवे स्टेशन के पास आए हुए हैं। दोनों टीम ने घेराव कर एक नाबालिग समेत आठ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार है।

गिरफ्तार हत्या अभियुक्तों की गिरफ्तार विजय कुमार पुत्र शम्भू नाथ निवासी रसूलपुर थाना घोसी, धर्मेंद्र राजभर पुत्र स्व.राम बचन राजभर निवासी मोहम्मदपुर थाना कोपागंज, धीरज सोनकर उर्फ करन सोनकर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मझवारा मोड़ थाना घोसी, शिव कुमार पुत्र प्रभुनाथ चौहान निवासी सरफुपुर थाना घोसी, मनीष चौहान पुत्र अशोक चौहान निवासी सरफुपुर थाना घोसी, प्रदीप राजभर पुत्र अरविन्द राजभर, सोनू राजभर पुत्र शैलेन्द्र राजभर एवं एक नाबालिग निवासीगण मोहम्मदपुर बनसत्ती थाना कोपागंज के रूप में हुई।

कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने उगले राज

घोसी, मऊ। कोपागंज थाने की पुलिस ने हिमांशु हत्याकांड में गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ की। अभियुक्तों ने बताया सात जनवरी 2023 को हम लोग हिमांशु उर्फ बिट्टू सिंह को राजानहुश कोट थाना घोसी से धर्मेन्द्र के कहने पर बुलाकर लाये थे। विजय कुमार और धर्मेन्द्र में गहरी दोस्ती है। कुछ महीने पहले घोसी में सभी लोगों ने एक पार्टी रखी थी, इसमें सब लोग इकट्ठा हुए। इस पार्टी में हिमांशु भी आया था, पार्टी में विजय और हिमांशु में कुछ गाली गलौच हो गया था। विजय में हिमांशु के प्रति बदला लेने के भावना बनी। 7 जनवरी को विजय ने सभी को इकट्ठा कर जान से मार डालने की नियत से हिमांशु को बुलाया।

बदला लेने के लिए दोस्तों ने ही कर दी बिट्टू की हत्या

कुछ महीने पहले बिट्टू ने एक आरोपी को दे दी थी गाली

सात आरोपी किए गए गिरफ्तार, एक नाबालिग अभिरक्षा में लिया गया

संवाद न्यूज एजेंसी

मऊ। कोपागंज क्षेत्र के बनसत्ती के पास एक दिन पहले हिमांशु उर्फ बिट्टू की हत्या उसके दोस्तों ने ही की थी। घोसी में कुछ महीने पहले दावत में शराब के नशे में हुए विवाद में हिमांशु ने उसे गाली दी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपी ने मुहम्मदपुर बनसत्ती के पास उसे बुलाया। हमला में उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने एसओजी और स्वाट टीमों के सहयोग से सोमवार को इंदारा रेलवे के पश्चिमी फाटक के पास से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग भी घटना में शामिल था, जिसे पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल और डंडा भी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों का चालान कर दिया।

अपर पुलिस अधीक्षक टीएन त्रिपाठी ने बताया कि कुछ महीने पहले हिमांशु उर्फ बिट्टू ने एक पार्टी रखी थी। इसमें उसके साथी विजय कुमार और धर्मेंद्र भी शामिल हुए थे। विवाद में हिमांशु ने विजय को गाली दी थी। इसे लेकर विजय कुमार के अंदर हिमांशु से बदला लेने के भावना बनी हुई थी। उसी बात को लेकर सात जनवरी को विजय ने बिट्टू को बुलाया। मोहम्मदपुर बनसत्ती रोड के किनारे ले गया। वहां हमलावरों ने डंडे से हमलाकर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी बाहर भागने की फिराक में थे। पकड़े गए आरोपियों में विजय कुमार निवासी रसूलपुर थाना घोसी, धर्मेन्द्र राजभर निवासी मोहम्मदपुर, धीरज सोनकर उर्फ करन निवासी मझवारा मोड़ घोसी, शिव कुमार निवासी सरफुपुर थाना घोसी, मनीष चौहान निवासी सरफुपुर थाना, प्रदीप राजभर, सोनू राजभर शामिल हैं। अभिरक्षा में लिया गया नाबालिग बनसत्ती मुहम्मदपुर निवासी है।

1. दिनांक 07.01.2023 को थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत हुयी युवक की हत्या मामले में हत्यारोपित 07 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 मो0साईकिल व आलाकत्ल (डंडा) बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोपागंज/एसओजी/स्वाट टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 08.01.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 04/23 धारा 147,302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तों को पश्चिमी फाटक व इन्दारा चट्टी के पास से आठ व्यक्तियों क्रमशः 1. विजय कुमार पुत्र शम्भू नाथ निवासी रसूलपुर थाना घोसी जनपद मऊ 2. धर्मेन्द्र राजभर पुत्र स्व.राम बचन राजभर निवासी मोहम्मदपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ 3. धीरज सोनकर उर्फ करन सोनकर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मझवारा मोड़ थाना घोसी जनपद मऊ 4. शिव कुमार पुत्र प्रभुनाथ चौहान निवासी सरफुपुर थाना घोसी मऊ 5. मनीष चौहान पुत्र अशोक चौहान निवासी सरफुपुर थाना घोसी मऊ 6. प्रदीप राजभर पुत्र अरविन्द राजभर 7. सोनू राजभर पुत्र शैलेन्द्र राजभर 8. (बाल अपचारी) निवासीगण मोहम्मदपुर बनसत्ती थाना कोपागंज जनपद मऊ बताया तथा बारी-बारी रोके गए आठों व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गई तो बिजय कुमार उपरोक्त के पास से एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल विवो कम्पनी ब्लू कलर जिसपर सफेद रंग का कवर लगा हुआ जो स्विच आफ है बरामद हुआ तथा शेष सात व्यक्तियों के पास से कोई शय बरामद नही हुआ तथा पास में खड़ी मोटर साइकिल संख्या यूपी 54 एयू 282 होंडा साइन व यूपी54एजे6211 ग्लैमर के बारे में पूछा गया तो होंडा साइन के बारे प्रदीप कुमार बता रहा है कि साहब यह हमारी मोटर साइकिल है इसी मोटर साइकिल मैं हिमांशु को मारने के लिये लेकर आया था तथा ग्लैमर के बारे में पूछा गया तो शिव कुमार ने बताया कि ये मो0सा0 मेरी है, इस गाड़ी को लेकर घटना के दिन मैं लेकर गया था। पकड़े गये अभियुक्तगण से घटना के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया गया कि दिनांक 07.01.2023 को हम लोग हिमांशु उर्फ बिट्टू सिंह को राजानहुश कोट थाना घोसी से धर्मेन्द्र के कहने पर हम लोग हिमांशु को बुलाकर लाये थे विजय कुमार और धर्मेन्द्र में गहरी दोस्ती है कुछ महीने पहले घोसी में हम सभी लोगो नें एक पार्टी रखी थी जिसमें सब लोग इकट्ठा हुये थे जिसमें हिमांशु भी आया था पार्टी में शराब पीने के बाद विजय और हिमांशु में कुछ गाली गलौच हो गया था जिसको लेकर विजय कुमार के अन्दर हिमांशु के प्रति बदला लेने के भावना बनी हुई थी उसी बात को लेकर दिनांक 07.01.23 को मौका पाकर विजय हम सभी लोगो को इकट्ठा कर योजना बनाकर जान से मार डालने की नियत से हिमांशु को बुलाकर मोहम्मदपुर बनसत्ती रोड के किनारे ले आये जहां पर लाठी डंडा से मार पीट कर मरा हुआ समझकर भाग गये थे बाद में हम लोगो को पता चला कि हिमांशु सिंह उर्फ बिट्टू की मृत्यु हो गयी है और हम लोगो के खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है तब हम लोग पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिये आज ट्रेन पकड़कर दूर चले जाने के लिये एकट्ठा हुये थे पंकज भाड़ा किराया लेकर आने वाला था उसी का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आप लोग आकर पकड़ लिये गये। तत्पश्चात उक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल डंडा बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 148,148,120बी भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।